प्रेषक,

सतीश कुमार त्रिपाठी,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर ऐक्ट,
फैजाबाद।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
फैजाबाद

विषयः– विधि में परास्नातक डिग्री के बाबत तीन अतिरिक्त वेतन बृद्धियॉ दिये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि निबन्धक (बजट),माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 7419/IV – एडमिन दिनांकित 25.05.2013 के द्वारा उ0प्र0 न्यायिक सेवा तथा उच्चतर न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारीगण,जो दिनांक 21.03.2002 को अथवा उसके पश्चात सेवा मे आये है और सेवा मे आने के समय किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्विवर्षीय एल0एल0एम0 डिग्री धारक थे, ऐसे अधिकारियों को सेवा मे आने की तिथि से 3 अतिरिक्त वेतन बृद्धियॉ प्रदान की गई है। उपरोक्त सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि सेवा मे मेरी नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या 220/ए0आर0(एस)/2009 दिनांकित 16.04.2009 के द्वारा हुई थी तथा सेवा मे आने से पूर्व ही वर्ष 1996 मे मैने लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ से द्विवर्षीय एल0एल0एम0 की डिग्री प्राप्त की थी।

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त परिपत्र के प्रकाश में मुझे सेवा मे आने की तिथि सें तीन अतिरिक्त वेतन बृद्धियॉ प्रदान करने की कृपा करें।

सम्मान सहित।

भवदीय,

31-10-2020

दिनांक 31.10.2020

(सतीश कुमार त्रिपाठी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर ऐक्ट,
फैजाबाद।
(आई0डी0सं0–1537)

संलग्नकः–

1. एल0एल0एम0 के अंकपत्र व प्रमाणपत्र की छायाप्रति।

Scanned with CamScanner